41–(08)–26–2018

पटना में दिनांक–30 जनवरी, 2018 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:45 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष – 2017–18 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹ 10500.00 लाख (एक अरब पाँच करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति एवं नये सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण कार्य योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2018–19 तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

1. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

2. बिहार राज्य जल विद्युत निगम की निर्माणाधीन 12 वैसी परियोजनाएँ जहाँ 50% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है अथवा उत्पादन लागत 5.00 रूपये प्रति यूनिट से कम है, की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 143.9365 (एक सौ तैतालीस करोड़ तिरानवे लाख पैसठ हजार) रूपये की स्वीकृति, तकनीकि एवं व्यवसायिक रूप से असम्भाव्य (Unviable) 03 परियोजनाओं को बंद करने तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण 02 परियोजनाओं को निरस्त करने की स्वीकृति एवं झारखण्ड राज्य में अवस्थित बिहार राज्य जल विद्युत निगम की 08 जल विद्युत परियोजनाओं को झारखण्ड राज्य को As is where is के आधार पर हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

3. शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा पुलिस लाईन के निर्माण हेतु संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 3723.557 लाख (सैंतीस करोड़ तेईस लाख पचपन हजार सात सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. डा० (श्रीमती) पुष्पा शाही, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर को पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रमाणित आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।

5. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6. डा० कृष्ण मुरारी पाण्डेय, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय को पॉच वर्षों से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 6. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. डॉ० बालमुकुंद लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, डिहरी, रोहतास को वर्ष 2000 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 7. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० जैनेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर सम्प्रति निलंबनाधीन को भ्रष्ट आचरण (misconduct) के लिये "बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007" की कंडिका–2 के नियम–14(XI) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 8. **स्वीकृत।**

गृह विभाग (कारा)

9. शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर में वर्ष–1984 में तदर्थ/अस्थायी रूप से नियुक्त 20 (बीस) कक्षपालों का दिनांक–16.01.1994 से नियमित नियुक्ति करने के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

10. राज्य की विभिन्न काराओं में संसीमित माओवादियों, दुर्दांत अपराधियों तथा उच्च सुरक्षा वाले बंदियों के सुरक्षित संसीमन हेतु शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ को तोड़कर ₹56,72,00,000 (छप्पन करोड़ बहत्तर लाख रूपये मात्र) की अनुमानित लागत पर उच्च सुरक्षा कारागार (High Security Jail) के रूप में निर्माण कराये जाने की स्वीकृति। — 10. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

11. श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय, विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2018 के बाद उसी पद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (i) के परन्तुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानो के आलोक में संविदा पर अगले 02 (दो) वर्षों या नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो) के लिए नियोजन के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

12. एल०पी०ए० सं०–805/2006, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् ललित मोहन प्रसाद एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–06.07.2015 को पारित आदेश के आलोक में श्री ललित मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बख्तियारपुर को राज्य सरकार की सेवा में समायोजन के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

13. खगड़िया जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय, गोगरी के क्षेत्राधिकार से मानसी अंचल को हटाकर जिला अवर निबंधन कार्यालय, खगड़िया के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु शक्तियों का पुनर्निर्धारण के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

15. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल संभावित राशि 4298 लाख (बयालीस करोड़ अनठानवे लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

16. खरीफ विपणन मौसम 2017–18 के अन्तर्गत राज्य में धान/सी०एम०आर० अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह नवम्बर, 2017 से माह जुलाई, 2018) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/ त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पाँच सौ करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

17. पंचायत उप निर्वाचन 2018 के संचालन हेतु ई०वी०एम० पावर पैक (बैट्री) का क्रय नामांकन (nomination) के आधार पर कराये जाने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–30 के मोहनियाँ–आरा पथांश (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 116.76 तक) को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को वापस करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

वित्त विभाग

19.	बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों को राज्य सरकार के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करने के निमित्त समरूप सेवा शर्त्त निरूपित करने के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

20.	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन मालों के परिवहन हेतु लागू इलेक्ट्रॉनिक ई–वे बिल "सुविधा" की व्यवस्था समाप्त करने के संबंध में।	20.	स्वीकृत।